न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपीलसंख्याः 41/2022
जीसीएमएस संख्याः 2022/167

निर्णय दिनांक 04-03-2025

1. श्रीकिशन पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मनीराम पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. रामकिशन पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. रामनिवास पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. रामप्रताप पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. रामस्वरूप पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. सावित्री पुत्री गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. बीरमा पुत्री गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. गीता पुत्री गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. गोमती देवी पत्नी गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी खारा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. गोरधन पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
11. जगदीश पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12. अनिल कुमार पुत्र मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
13. शिवकुमार पुत्र मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. सुन्दरलाल पुत्र मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
15. रामेश्वरी पत्नी मोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
16. सरस्वती पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
17. बजरंग पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
18. अशोक पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
19. श्यामलाल पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।
20. भंवरीकंवर पत्नी उगमसिंह जाति राजपूत निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
21. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नोखा।
22. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 28–03–2022

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री दिनेश गहलोत,अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल,राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 28–03–2022 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के नाम से रोही मौजा कंवलीसर तहसील नोखा के खसरा नम्बर 772 तादादी 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 तादादी 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 तादादी 7.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 तादादी 5.50 हैक्टेयर कुल तादादी 13.34 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए अपीलांट के खातेदारी खेत में से धारा 251 ए आरटीए के तहत रास्ता प्रदान किया जावे। जबकि रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां न्यायालय द्वारा नया रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 को रास्ता स्वीकृत करने की नियत से अपीलांट के खातेदारी खेत में से रास्ता स्वीकृत कर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, उक्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 की भूमि में आवागमन हेतु 3 नवीन रास्ते के प्रस्ताव भेजे गये थे जिसमें बिन्दु संख्या ई से एफ के रास्ते पर अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। मगर अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय ने उक्त सहमति का रास्ता यह कहते हुए मंजूर नहीं किया है कि बिन्दु संख्या ई से एफ का रास्ता निकटतम रास्ता नही होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है एवं जो सहमति का रास्ता था उक्त दोनों रास्तों में केवल मात्र 5 मीटर का ही फर्क था।

आगे अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20—05—2022 को प्राप्त हुई उसके पश्चात प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी की प्रथम दिनांक से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत की है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी बिन्दुओं को गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर ही निस्तारित किया जाना चाहिए। चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ॥ में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुरभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील अदंर मियाद घोषित की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि जिस पर प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मकान बनाकर मय पशुधन रहवास कर रहा है। रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति में अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता मांगा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना पत्र को तय किया जाना आवश्यक है क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–03–2022 का है जबकि उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 06–06–2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे जो कारण अंकित किये गये है वो संतोषजनक एवं पर्याप्त नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 व 3 में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 54, 48, 47 व 772/22 में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को नवीन रास्ता दिया जाना आवश्यक है। जहां तक अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते का प्रश्न है उक्त रिपोर्ट में 3 रास्ते प्रस्तावित किये गये थे जिनमें से बिन्दु संख्या ए से बी अप्रार्थीगण के खेत के मध्य से गुजरता है जिससे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के टुकडे होंगे तथा बिन्दु संख्या ई से एफ जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा भी सहमति प्रदान की गई थी उक्त रास्ता निकटतम रास्ते की श्रेणी में नहीं आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जब भी नवीन रास्ता स्वीकृत किया जायेगा वह रास्ता निकटतम होना चाहिए। अपीलांट ने स्पष्ट तौर पर अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है एवं अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity&convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा आरआरटी 2023 (1) पेज 699 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में जहां तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 06–06–2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा प्रथम जानकारी के दिन से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट ने मियांद प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब के कारण अंकित किये गये है वो स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त रहा है कि जहां पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहां मियाद के बिन्दु अर्थात मियाद में अत्याधिक विलम्ब ना होने की स्थिति में न्यायालय को मियाद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का भी यही मत है कि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

(2) प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत निर्णय पारित करने से पूर्व विधि द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित 3 सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। अ. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता। ब. नवीन रास्ता निकटतम होना चाहिए। स. वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही था। अतः रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का बिन्दु साबित होने से रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट में तीन रास्ते सुझाए गये है। जिनमें से यदि बिन्दु संख्या ए से बी रास्ता स्वीकृत किया जाता तो अप्रार्थीगण/अपीलांट के खेत के दो टुकडे हो जाते। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट के खेत के सींव के सहारे बिन्दु संख्या सी से डी रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रदत्त रास्ता धारा 251 ए आरटीए के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 28–03–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04-03-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर